कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 5419 /11–सी–FP/UP/Trans/29629/2017, लखनऊः दिनांकः जून 29 ,2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद–चित्रकूट राष्ट्रीय मार्ग सं0–76/35 (इलाहाबाद से बांदा) के किनारे 332 किमी0 से 349 किमी0 (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के0वी0 विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित संरक्षित वनभूमि 25.5 हे0 संरक्षित वनभूमि का भूमि हस्तांतरण एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी चित्रकूट वन प्रभाग, चित्रकूट ने अपने पत्रांक–5170/33–1, दिनाँक–28.06.2018 द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (मुख्यतः औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण सहित प्राक्कलन इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित औषधीय पौधों हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–यथोक्त्।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–5419 /11–सी– FP/UP/Trans/29629/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, चित्रकूट धाम वृत्त, बांदा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट वन प्रभाग, चित्रकूट।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण चित्रकूट, चित्रकूट।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2042